

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा  
(पीठसीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

1. मिर्जा पुत्री इन्दीमिंद पत्नि इन्दीमिंद उन्वान  
राजपु जाति जाट नि० देवनावाती बनाम  
2. सरोज पुत्री इन्दीमिंद पत्नि देवेन्द्र कुमार  
दावा बाबत - 88RTA/14

1. इन्दीमिंद पुत्र नारायणी देवी जाति  
जाट विष्णुजी मोघनी ग० आदमपुर  
2. मोनावती पुत्री इन्दीमिंद पत्नी प्रभाषींद  
जाति जाट नि० डावडी ग० भादरा  
3. राजस्थान सरकार जसिने रक्षीतारा

मुकदमा नम्बर :- 170/22

निर्णय दिनांक :- 12/06/23

वादी की ओर से वकील १०८ भुन्डीराज गोस्वामीकी व प्रतिवादीगण की ओर से वकील

१०८ भुन्डीराज गोस्वामीकी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12/6/23 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही भाँजा चक 14 जलव के खारा  
स० प/8 के मुण० 86 के जितान० 1 ग 25 डी 5.692 हे० मुण० 87  
हे० जितान० 1.10 डी 8.340 हे० डी कुल 6.072 हे० में परिवारी स०  
0 के वाग 144 दिहा राजस्व रिजर्ड में दर्ज है, में परिवारी स०  
0 इन्दीमिंद का नाम कुलमजन किया जाकर वादीगण स०  
मिर्जा पत्नी इन्दीमिंद तथा वादी स० 2 सरोज पुत्री इन्दीमिंद  
पत्नी देवेन्द्र कुमार को बहिष्ता धरावर के अनुसार  
स्वादेशर आरम्भर घोषित किये जाते हैं यदि इपि भूमि  
बैंड रदन है तो रदन मुक्त होने के बाद उपरोक्ता कुमार  
राजस्व रिजर्ड में अंजन किया जावे। राजीनामा को डीडी  
का भाग पदा जावे। खर्चा वाद उभ्रपपक्षकारान पक्ष में।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/6/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
शिविर प्रसादी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी